न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन 85/2023

वकील प्रार्थीगण :– श्री शाकर खान एच
वकील विप्रार्थीगण :– श्री प्रवीण चौधरी

अनवान : जुंजारसिंह बनाम ईन्द्रादेवी वगैराह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,141 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

–: आदेश :–

दिनांक :–17.02.2026

आवेदन में विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,141 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिसके जवाब हेतु प्रार्थी अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही किया। प्रार्थी अधिवक्ता का जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 141 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता विप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आवेदन पत्र में वादग्रस्त भूमि मौजा जाटों की बस्ती आंटिया के खेत खसरा नम्बर 208/126 व खसरा संख्या 206/126 की तरमीम दुरूस्ती (शुद्ध) करने अनुतोष मांगा गया है, जिसका श्रीमान न्यायालय में अनवान् इन्द्रादेवी बनाम जोगाराम राजस्व आवेदन सं. 107/2022 निर्णय दिनांक 23.11.2022 को हो चूका है। प्रार्थीगण द्वारा इन्ही खसरों के विवाद को लेकर पुनः न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जो सीपीसी की धारा 11 के अन्तर्गत प्राड्न्याय की श्रेणी मे होने से खारिज योग्य होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त राजस्व वाद एक बार निर्णित होने के बाद नया वाद नही ला सकते है लेकिन राजस्व आवेदन कभी भी किसी भी समय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। तथा प्रार्थी की तरमीम पूर्व आदेश के अनुसार नही होने से प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी द्वारा मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन /अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदन में वर्णित विवादग्रस्त आराजी खसरान का पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित हो चुका है। प्रार्थीगण पूर्व में पारित निर्णय से यदि असंतुष्ट है तो उसकी सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील करने हेतु स्वतंत्र है, बावजूद प्रार्थीगण द्वारा इसी न्यायालय में राजस्व आवेदन पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो सीपीसी की धारा 11 के अन्तर्गत प्राड्न्याय की श्रेणी मे होने से प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 19:07:49 IST
Reason: Self Attested